

प्रेस-नोट
थाना सकरार, झाँसी

दिनांक- 16.03.2025

अवैध असलहा-कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना सकरार पुलिस द्वारा दिनांक 15.03.2025 को समय करीब 22.50 बजे मुखविर सूचना की पर ग्राम सिलगुवां थाना सकरार, झाँसी से अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र गोविन्द दास निवासी ग्राम बुढावाली थाना सकरार, जनपद झाँसी उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना सकरार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 44/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नरेन्द्र पुत्र गोविन्द दास निवासी ग्राम बुढावाली थाना सकरार, झाँसी उम्र करीब 42 वर्ष

बरामदगी –

01 तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

सिलगुवां से बुढावली जाने वाले रास्ते पर बबूल के पेड के नीचे ग्राम सिलगुवां थाना सकरार जनपद झाँसी, दिनांक 15.03.25 समय 22.50 बजे

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 93/2019 धारा - 323,498 A भादवि थाना सकरार, जनपद झाँसी

गिरफ्तार करने वाली टीम:

- 1- प्रभारी निरीक्षक अमीराम सिंह थाना सकरार जनपद झाँसी
- 2- उ0नि0 मोहित कुमार थाना सकरार जनपद झाँसी
- 3- का0 1677 अरविन्द कुमार थाना सकरार जनपद झाँसी
- 4- का0 761 पुष्पेन्द्र सिंह थाना सकरार जनपद झाँसी